प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5104/2006

याचिकाकर्ता : सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री प्रेम मोहन (पिता श्री आर.एम. प्रसाद, आयु लगभग 33 वर्ष), पंजीकृत कार्यालय – डी–5, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली।

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

आदेश हेतु विचारार्थ

सही/–

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव

सही/–

विजय कुमार श्रीवास्तव

न्यायाधीश

आदेश हेतु दिनांक 1 फरवरी 2007 को सूचीबद्ध करें।

सही/–

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री विजय कुमार श्रीवास्तव एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 5104/2006

याचिकाकर्ता : सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री प्रेम मोहन (पिता श्री आर.एम. प्रसाद, आयु लगभग 33 वर्ष), पंजीकृत कार्यालय – डी–5, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली।

बनाम

उत्तरवादी : छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक तन्खा सहित श्री मुनीश मल्होत्रा और सुश्री सुनीता जैन।

राज्य की ओर से विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री प्रशांत मिश्रा।

उत्तरवादी क्रमांक 3 की ओर से श्री वी.आर. तिवारी, विद्वान अधिवक्ता।

उत्तरवादी क्रमांक 4 की ओर से श्री संजय के. अग्रवाल सहित श्री सौरभ शर्मा, विद्वान अधिवक्ता।

आदेश

(दिनांक 01–2–2007 को पारित)

माननीय न्यायमूर्ति श्री धीरेंद्र मिश्रा के अनुसार,

इस याचिका के द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी 1 और 2 की कार्यवाही को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्होंने उत्तरवादी 3 और 4 को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है, इस तथ्य के बावजूद कि वे इसके लिए योग्य नहीं हैं और वे अपने पक्ष में आशय पत्र/क्रय आदेश जारी करने का आशय रखते हैं।

2.छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्तरवादी क्रमांक 2 को राज्य सरकार के भीतर अपनी प्रौद्योगिकी प्रणाली की अनुमति देने और पूरे राज्य के लिए अपनी प्रौद्योगिकी संबंधी सामग्री के क्रय की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व सौपा। इलेक्ट्रॉनिक क्रय को लागू करने के लिए उत्तरवादी क्रमांक 2 ने दिनांक 20.2.2006 के विज्ञापन के माध्यम से निविदा जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता और उत्तरवादीगण 3 व 4 सहित 6 पक्षकारों ने भाग लिया। निविदा तीन भागों में खोली जानी थी: (i) पूर्व–योग्यता (ii) तकनीकी और (iii) वित्तीय।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

3 इस याचिका में सम्मिलित विवाद के उद्देश्य के लिए पूर्व–योग्यता मानदंड के अनुलग्नक पी–2, खंड 4.5.2 का सुसंगत भाग नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"क्रय परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विविध कौशल और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, कंपनियों का एक संघ (अधिकतम 2) परियोजना के लिए बोली लगा सकता है। संघ के सदस्यों में से एक को प्रधान बोलीदाता के रूप में कार्य करना होगा और बोली को अंतिम रूप देने और परियोजना (यदि विक्रेता के रूप में चुना जाता है) से संबंधित सभी उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए चिप्स के प्रति उत्तरदायी होगा। संघ या समूह के अन्य सदस्यों को उप–ठेकेदार कहा जाएगा। प्रधान बोलीदाता को सभी बोलियाँ प्रस्तुत करनी होगी। भाग लेने वाले बोलीदाताओं के लिए पूर्व–योग्यता मानदंड नीचे दिए गए हैं:

संघ बोलियों के मामले में, संघ के सदस्यों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। परियोजना में लगाए जाने के लिए प्रस्तावित ई–क्रय आवेदन का स्वामी संघ के आवश्यक भागीदारों में से एक होना चाहिए।

<u>ई– क्रय आवेदन का स्वामी एसईआई–सीएमएम स्तर 3 प्रमाणित कंपनी होना चाहिए।</u>

2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता, ई– क्रय आवेदन के स्वामी और प्रमुख बोलीदाता आईटीआई लिमिटेड ने 5 अन्य प्रतिभागियों के साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लिया, जिनके नाम हैं टेक महिंद्रा लिमिटेड, एसएपी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संघ), स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेब 3 एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संघ), आईटीआई लिमिटेड + सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (संघ), रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड एंटारेस सिस्टम लिमिटेड (संघ), विप्रो लिमिटेड, नेक्सटेंडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड संघ और साई इन्फोसिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड। पूर्व–योग्यता चरण में उत्तरवादी 3 और 4 को चयन किया गया था, यद्यपि उत्तरवादी क्रमांक 3, जो ई–क्रय आवेदन का स्वामी है जिसे परिनियोजन हेतु प्रस्तावित किया गया था वह एसईआई–सीएमएम स्तर 3 प्रमाणित कंपनी नहीं थी और इसलिए इसे वर्तमान निविदाओं के उद्देश्य के लिए विचार में नहीं लिया जा सकता था और उत्तरवादी 3 और 4 को उक्त प्रक्रिया में चयन नहीं किया जा सकता था। उत्तरवादी 3 और 4 के संघ के अलावा अन्य सूचीबद्ध कंपनियां याचिकाकर्ता और आईटीआई लिमिटेड और एसएआई इन्फोसिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड + एप्लिटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड थीं। अन्य प्रतिभागियों अर्थात् टेक महिंद्रा लिमिटेड और एसएपी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संघ) के साथ–साथ मेसर्स रायपुर रोटोकास्ट लिमिटेड और मेसर्स एंटारेस सिस्टम लिमिटेड (संघ) को उत्तरवादी क्रमांक 2 द्वारा केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, क्योंकि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए एसईआई–सीएमएम स्तर 3 प्रमाण पत्र की आवश्यकता अनिवार्य शर्त थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता की अतिरिक्त शिकायत यह है कि जैसे ही उन्हें पता चला कि उत्तरवादी 3 और 4 को पूर्व–योग्यता के आधार पर चयन किया गया है, उन्होंने दिनांक 30.7.2006 के पत्र (अनुलग्नक पी–3) के माध्यम से उत्तरवादी 1 और 2 को सूचित किया कि उत्तरवादी 3 और 4 (संघ) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं हैं क्योंकि वे निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे और इससे पहले भी मई 2006 में कर्नाटक सरकार द्वारा उन्हें इसी आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था। उपरोक्त आपत्ति पर दिनांक 31.7.2006 की बैठक में विचार किया गया। सशक्त समिति और उत्तरवादी 1 और 2 ने अन्य चयन किए गए पक्षकारों के साथ उत्तरवादी 3 और 4 की तकनीकी बोली खोलने की कार्यवाही आगे बढ़ाई।

4. अपने जवाबदावे में उत्तरवादी क्रमांक 2 ने तर्क दिया है कि ई–क्रय विकास गतिविधि भारत सरकार द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अनुसार मार्च 2005 में शुरू की गई थी और इसे मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के रूप में पहचाना गया था। परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में नीतिगत निर्णयों के उद्देश्य से, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक सशक्त समिति (ईसी) का गठन किया था, जिसमें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 14 वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित थे। व्यापक जमीनी कार्य के बाद सरकार द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों के लिए प्रस्ताव के लिए विस्तृत अनुरोध (आरएफपी) तैयार किया गया था। बोली प्रक्रिया गतिविधि दिनांक 21.2.2006 से शुरू हुई। बोलियां दिनांक 29.5.2006 को 16 बजे तक जमा की जानी थीं और उसी दिन 17 बजे पूर्व योग्यता बोलियां खोली गईं। सशक्त समिति द्वारा पूर्व योग्यता बोलियों के प्रमाणन के बाद दिनांक 31.7.2006 को पूर्व योग्यता बोलियों का मूल्यांकन किया गया। निविदा मूल्यांकन समिति की तीसरी बैठक दिनांक 11.8.2006 को आयोजित की गई और उसी दिन पूर्व–योग्य बोलीदाताओं के नाम घोषित किए गए। तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं की घोषणा दिनांक 25.8.2006 को की गई और उसी दिन वाणिज्यिक बोलियाँ भी खोली गईं। दिनांक 29.8.2006 को सशक्त समिति ने तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों पर अपना निर्णय दिया और उसके बाद दिनांक 4.9.2006 को आशय पत्र जारी किया गया। विप्रो नेक्स्टेंडर, उत्तरवादी 3 और 4 की पूर्व योग्यता के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए प्रश्न का दिनांक 31.7.2006 को याचिकाकर्ता सहित प्रतिभागियों/निविदाकर्ताओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सशक्त समिति द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई थी और उत्तरवादी 3 और 4 की ओर से प्रस्तुत शपथ–पत्रों पर विचार करने के बाद सशक्त समिति संतुष्ट थी कि उत्तरवादी 3 और 4 निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य थे, छत्तीसगढ़ सरकार में नियोजित किए जाने वाले पूरे क्रय आवेदन के स्वामित्व के बारे में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने पर, यह आगे निर्णय लिया गया कि यदि शपथ–पत्र में दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर असत्य पाई जाती है, तो उत्तरवादी 3 और 4 के संघ को ई–क्रय बोली मूल्यांकन प्रक्रिया से सीधे तौर पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

5. उत्तरवादी 3 और 4 ने अपने अलग–अलग जवाबदावों में स्पष्ट रूप से यह रुख अपनाया है कि उत्तरवादी 3 और 4 का संघ पूर्व–योग्यता मानदंडों को पूरा करता है क्योंकि उत्तरवादी क्रमांक 4

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

एसईआई–सीएमएम स्तर 5 प्रमाणित कंपनी है। उपरोक्त दावे के अलावा, तीनों उत्तरवादी ने इस आशय की प्रारंभिक आपत्तियाँ प्रस्तुत की हैं कि याचिका में अतिविलंब की समस्या है। पूर्व–योग्यता बोली का मूल्यांकन दिनांक 11.8.2006 को अनुलग्नक आर–4 के अनुसार किया गया और उत्तरवादी 3 और 4 के शपथ–पत्रों के आधार पर उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य पाया गया। इसके बाद दिनांक 25.8.2006 को तकनीकी बोली पर विचार किया गया और उत्तरवादी 3 और 4 को वाणिज्यिक बोली खोलने के लिए तकनीकी रूप से योग्य पाया गया और उसके बाद दिनांक 29.8.2006 को अनुलग्नक आर–6 के अनुसार वाणिज्यिक बोली खोली गई और उत्तरवादी 3 और 4 द्वारा उद्धृत दरों पर विचार करते हुए, जो याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित दर से 2.38 करोड कम थी, इसलिए उत्तरवादी क्रमांक 3 के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई और उसके बाद निविदा प्रक्रिया में असफल होने के बाद दिनांक 13.9.2006 को वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6. आईटीआई लिमिटेड प्रमुख बोलीदाता है। पूर्व–योग्यता मानदंड के खंड 4.5.2 के अनुसार, प्रमुख बोलीदाता बोली को अंतिम रूप देने और परियोजना (यदि विक्रेता के रूप में चयनित हो) से संबंधित उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए चिप्स के प्रति उत्तरदायी है और संघ या समूह के अन्य सदस्यों को उप–ठेकेदार कहा जाएगा। बोली प्रमुख बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जानी है। हालाँकि, प्रमुख बोलीदाता ने उत्तरवादी 1 और 2 द्वारा उत्तरवादी 3 और 4 को पूर्व–योग्य बोलीदाता मानने के निर्णय को स्वीकार कर लिया है, और उप–ठेकेदार के कहने पर प्रस्तुत की गई यह याचिका विचारणीय नहीं है।

7. हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं का तर्क सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. उत्तरवादी 3 की पूर्व योग्यता और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्ति को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है:

(क) उत्तरवादी क्रमांक 3, नेक्सटेंडर्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, प्रस्तावित ई–क्रय आवेदन का स्वामी है, जबकि उत्तरवादी क्रमांक 4 मुख्य्य बोलीदाता है। खंड 4.5.2 के अनुसार, ई–क्रय आवेदन का

स्वामी एसईआईसीएमएम स्तर 3 प्रमाणित कंपनी होना चाहिए। हालाँकि, उत्तरवादी क्रमांक 3 के पास उपरोक्त प्रमाणन नहीं है और इसलिए, उत्तरवादी 3 और 4 का संघ योग्य नहीं था।

(ख) निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उपरोक्त मानदंडों को अनिवार्य मानते हुए, उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2 ने अन्य प्रतिभागियों को अयोग्य घोषित कर दिया।

(ग) संघ के याचिकाकर्ता सदस्य ने उत्तरवादी 3 और 4 के प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित किए गए अनुलग्नक आर–2 और आर–3 के शपथ–पत्रों पर विवाद किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विप्रो लिमिटेड, विप्रो द्वारा नगर निगम दिल्ली में नियोजित ई–क्रय आवेदन के बौद्धिक संपदा अधिकारों का एकमात्र, निर्विवाद और पूर्ण स्वामी है और उपरोक्त निविदाकारों के तहत छत्तीसगढ़ सरकार में नियोजित किए जाने वाले अन्य नवीनतम संस्करण प्रस्तावित हैं। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 के मध्य हुए सेवा अनुबंध दिनांक 22.2.2005 अनुलग्नक पी–8 को इस संबंध में निष्पादित शपथपत्रों के आधार पर चुनौती दी है जो यह दर्शाता है कि वे विप्रो द्वारा नगर निगम दिल्ली में ईजीपीएस के नियोजन में बौद्धिक संपदा के स्वामित्व को साझा करते हैं उत्तरवादी क्रमांक 4 की वेबसाइट अनुलग्नक पी–10, उत्तरवादी क्रमांक 3 को नगर निगम, दिल्ली में अनुकूलित ई–क्रय आवेदन के टूल्स और टेक्नोलॉजी के स्वामी के रूप में दिखाती है। मेसर्स विप्रो लिमिटेड के प्रस्ताव को कर्नाटक सरकार ने केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उसके पास अपना स्वयं का सॉफ्टवेयर नहीं है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(घ) वर्ष 2006 में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के समक्ष माध्यस्थम कार्यवाही में उत्तरवादी क्रमांक 3 ने शपथ–पत्र प्रस्तुत किया था कि बौद्धिक संपदा अधिकारों का स्वामी वह है, जबकि वर्तमान मामले में उत्तरवादी 3 और 4 द्वारा झूठा शपथ–पत्र दिया गया है कि ई–क्रय आवेदन का स्वामित्व उनके बीच हुए अनुबंध के अनुसार उत्तरवादी क्रमांक 4 को हस्तांतरित हो गया है।

(ड) अनुलग्नक आर–1 के तहत निर्णय लेने के बाद भी कि उत्तरवादी क्रमांक 4 को बिना किसी योग्यता के शपथ पत्र प्रस्तुत करना है कि वह छत्तीसगढ़ सरकार में नियोजित किए जाने वाले संपूर्ण ई–क्रय आवेदन का एकमात्र और निर्विवाद स्वामी है, उत्तरवादी 1 और 2 ने अनुलग्नक आर–2 और आर–3 के

शपथ–पत्रों पर बिना किसी स्वतंत्र सत्यापन के कार्यवाही की है, जबकि ऊपर उल्लिखित विसंगतियां उनके ध्यान में लाई गई हैं।

9. इसके विपरित, इस संबंध में उत्तरवादियों का कहना है कि याचिकाकर्ता की उपरोक्त आपत्तियों पर निर्णय को आधारहीन माना गया और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 को छत्तीसगढ़ सरकार में प्रस्तावित संपूर्ण क्रय आवेदन के स्वामित्व के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए और यदि उपरोक्त शपथ–पत्र झूठे पाए जाते हैं, तो संघ को बोली मूल्यांकन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और इस पूर्व शर्त के साथ उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 को संतोषजनक शपथ–पत्र के अधीन पूर्व योग्यता मानदंडों पर योग्य माना गया था ।

10. उपरोक्त निर्णय के बाद उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अपने शपथ–पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि विप्रो लिमिटेड एकमात्र और निर्विवाद स्वामी है और एनटी के पास विप्रो लिमिटेड से रॉयल्टी मुक्त लाइसेंसिंग अधिकार हैं, जिससे वह नगर निगम, दिल्ली में परिनियोजित और छत्तीसगढ़ सरकार में परिनियोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित ई–क्रय सॉफ्टवेयर के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग कर सकता है। दिनांक 19.6.2006 के अपने शपथ–पत्र में उत्तरवादी क्रमांक 4 ने समान तथ्य बताए हैं और विप्रो तथा एनटी के बीच दिनांक 31.3.2005 से प्रभावी होने वाले अनुबंध (संधि अनुबंध में संशोधन) का संदर्भ दिया है, जिसके तहत एनटी ने एक प्रतिफल के बदले में विप्रो को संधि के प्रस्तावित संस्करण 2 इलेक्ट्रॉनिक शासकीय क्रय प्रणाली (ईजीपीएस) के किसी भी पक्ष द्वारा विकसित या विकासाधीन इकाईयों (चाहे अकेले हों या किसी भी तरीके या रूप में समाधान के रूप में एकीकृत हों) के आईपीआरएस को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी प्राप्ति स्वीकार की गई है और इस अनुबंध द्वारा यह स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की गई है कि नीचे खंड 6 में निर्धारित अनुसूची के अनुसार ईजीपीएस के संस्करण 2 के आईपीआरएस में सभी अधिकार, स्वत्व और हित, जिसमें किसी भी पक्ष द्वारा किए गए किसी भी संवर्द्धन/अनुकूलन सम्मिलित हैं, अब से विशेष रूप से विप्रो को सौंपे जाएंगे और सी–एल अनुबंध के संशोधित खंड 4.1 द्वारा शासित होंगे।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. इसमें कोई विवाद नहीं है कि ई–क्रय आवेदन के बौद्धिक संपदा अधिकार उसके विकासकर्ता द्वारा किसी तीसरे पक्ष को सौंपे जा सकते हैं और ऐसे समनुदेशन को प्रभावित करने का विशिष्ट तरीका है और यह अनुबंध के माध्यम से किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, निविदा में भाग लेने के लिए उत्तरवादी 3 और 4 की पूर्व योग्यता के संबंध में याचिकाकर्ता की आपत्ति इस आरोप पर आधारित थी कि उत्तरवादी क्रमांक 3 ई–क्रय आवेदन का स्वामी है, जिसके पास एसईआई–सीएमएम स्तर 3 प्रमाणपत्र नहीं है। उत्तरवादी क्रमांक 4 स्वामी नहीं है। उत्तरवादी 1 और 2 ने उत्तरवादी 3 और 4 के शपथ–पत्रों को स्वीकार कर लिया है और अपनी संतुष्टि दर्ज की है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 विप्रो लिमिटेड ई–क्रय आवेदन का स्वामी है और इसके पास एसईआई–सीएमएम स्तर 5 प्रमाणपत्र भी है जो वर्तमान निविदा प्रक्रिया में निर्धारित पूर्व योग्यता से बहुत अधिक है। दोनों पक्षकारों अर्थात उत्तरवादी 3 और 4 के शपथ–पत्रों में कहा गया है कि उत्तरवादी क्रमांक 4 स्वामी है, जिस पर उत्तरवादी क्रमांक 3 ने विवाद नहीं किया है। उपरोक्त दावा दोनों के बीच विचार के लिए अनुबंध पर आधारित है। याचिकाकर्ता की आपत्तियों पर विचार करने की पूरी प्रक्रिया दिनांक 31.7.2006 को आयोजित अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में याचिकाकर्ता की उपस्थिति में की गई थी। शपथ–पत्रों में उपरोक्त दावे को याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए अनुलग्नक पी–8 दिनांक 22.2.2005 के सेवा अनुबंध से भी समर्थन मिलता है, जिसमें उत्तरवादी क्रमांक 3 ने अनुबंध के अनुसरण में विप्रो लिमिटेड द्वारा दिल्ली नगर निगम और उसके प्रभाग/सहयोगियों या दिल्ली राज्य सरकार के किसी भी विभाग में विप्रो द्वारा ईजीपीएस की प्रभावी नियोजन के लिए ईजीपीएस की बौद्धिक संपदा में स्वामित्व अधिकारों का दावा करने पर अपनी अनापत्ति व्यक्त की है। इस अनुबंध के बाद, उत्तरवादी क्रमांक 3 और 4 ने अपने बीच हुए अनुबंध का संदर्भ दिया है, जबकि क्रय आवेदन में आईपीआर नेक्सटेंडर्स द्वारा विप्रो लिमिटेड को प्रतिफल के लिए सौंप दिया गया है। इसके अलावा, उत्तरवादी क्रमांक 1 ने दिल्ली नगर निगम द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र और उसके अतिरिक्त जवाबदावे को अनुलग्नक आर–9 के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें मेसर्स विप्रो लिमिटेड को दिल्ली नगर निगम में आपूर्ति और स्थापित किए गए तथा व्यावसायिक रूप से कार्यरत सॉफ्टवेयर के संस्करण 2 का स्वामी बताया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12 यह एक सुस्थापित विधि है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत शासकीय निकायों द्वारा संविदात्मक शक्तियों के प्रयोग पर लागू होगा ताकि मनमानी या पक्षपात को रोका जा सके। हालाँकि, न्यायिक पुनर्विलोकन की उस शक्ति के प्रयोग में अंतर्निहित सीमाएँ हैं। सरकार राज्य के वित्त की संरक्षक है। उससे राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है। सबसे कम या किसी अन्य निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सरकार के पास हमेशा उपलब्ध है। लेकिन, किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करते समय संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि सरकार सर्वोत्तम व्यक्ति या सर्वोत्तम कोटेशन प्राप्त करने का प्रयास करती है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

13. **टाटा सेलुलर बनाम भारत संघ के मामले में (1994) 6 8CC 651** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न प्रकार से अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

77. न्यायालय का कर्तव्य स्वयं को वैधता के प्रश्न तक सीमित रखना है। उसका संबंध निम्नलिखित से होना चाहिए:

1. क्या किसी निर्णयकर्ता प्राधिकारी ने अपनी शक्तियों का अतिक्रमण किया है?

2. विधि संबंधी त्रुटि की है,

3. नैसर्गिक न्याय के नियमों का उल्लंघन किया है,

4. ऐसा निर्णय लिया है जो कोई भी युक्तियुक्त न्यायाधिकरण नहीं ले पाता या,

5. अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है।

इसलिए, यह तय करना न्यायालय का कार्य नहीं है कि कोई विशेष नीति या उस नीति के पालन में लिया गया कोई विशेष निर्णय उचित है या नहीं। उसे केवल इस बात से सरोकार है कि वे निर्णय किस प्रकार लिए गए हैं। निष्पक्षता से कार्य करने के कर्तव्य की सीमा हर मामले में अलग–अलग होगी। संक्षेप में, जिन आधारों पर प्रशासनिक कार्यवाही न्यायिक पुनर्विलोकन के नियंत्रण के अधीन है, उन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है:

(क) अवैधता: इसका अर्थ है कि निर्णयकर्ता को उस विधि को सही ढंग से समझना चाहिए जो उसकी निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है और उसे लागू करना चाहिए।

(ख) अतार्किकता, अर्थात्, वेडनसबरी अनुचितता।

(ग) प्रक्रियात्मक अनुचितता।

उपर्युक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया है कि:

"94. उपरोक्त से निकाले जा सकने वाले सिद्धांत इस प्रकार हैं:

(1) आधुनिक प्रवृत्ति प्रशासनिक कार्यवाही में न्यायिक संयम की ओर इंगित करती है।

(2) न्यायालय अपील न्यायालय के रूप में नहीं बैठता है, बल्कि केवल उस तरीके का पुनर्विलोकन करता है जिससे निर्णय लिया गया था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(3) न्यायालय के पास प्रशासनिक निर्णय को सही करने की विशेषज्ञता नहीं है। यदि प्रशासनिक निर्णय का पुनर्विलोकन किया जाता है, तो वह आवश्यक विशेषज्ञता के बिना, अपने निर्णय को प्रतिस्थापित कर रहा होगा, जो स्वयं त्रुटिपूर्ण हो सकता है।

(4) निविदा आमंत्रण की शर्तें न्यायिक संविक्षा के लिए खुली नहीं हो सकतीं क्योंकि निविदा आमंत्रण संविदा के दायरे में आता है। सामान्यतः, निविदा को स्वीकार करने या संविदा प्रदान करने का निर्णय कई स्तरों पर बातचीत की प्रक्रिया द्वारा लिया जाता है। अक्सर, ऐसे निर्णय विशेषज्ञों द्वारा गुणात्मक रूप से लिए जाते हैं।

(5) सरकार को संविदा की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, प्रशासनिक क्षेत्र या अर्ध–प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत किसी भी प्रशासनिक निकाय के लिए संयुक्त रूप से निष्पक्ष व्यवहार एक आवश्यक सहवर्ती शर्त है। हालाँकि, निर्णय की जाँच न केवल वेडनसबरी सिद्धांत या तर्कसंगतता (ऊपर बताए गए अन्य तथ्यों सहित) के अनुप्रयोग द्वारा की जानी चाहिए, बल्कि यह मनमानी से मुक्त होना चाहिए, पक्षपात या दुर्भावना से प्रेरित नहीं होना चाहिए।

(6) निर्णयों को अभिखण्डित करने से प्रशासन पर भारी प्रशासनिक बोझ पड़ सकता है और बजट से बाहर खर्च बढ़ सकता है।"

14. हम उपरोक्त सिद्धांतों के आधार पर इस मामले के वर्तमान तथ्यों की जांच करेंगे। याचिकाकर्ता, आईटीआई लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सहयोग से ई–क्रय आवेदन के स्वामी, प्रमुख बोलीदाता ने निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। प्रमुख बोलीदाता जो उत्तरवादी 1 और 2 के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए चिप्स के प्रति जिम्मेदार है, ने कोई चुनौती न देकर निर्णय को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ता जो एक उप ठेकेदार है, ने यह याचिका केवल इस आधार पर दायर की है कि उत्तरवादी संख्या 3 वास्तव में ई–क्रय आवेदन का स्वामी है और उत्तरवादी संख्या 4 उसका स्वामी नहीं है। पूर्व–योग्यता मानदंडों के अनुसार ई–क्रय आवेदन के स्वामी के पास एसईआई–सीएमएम स्तर 3 प्रमाणपत्र होना चाहिए और इसलिए, उत्तरवादी 3 और 4 का संघ एक साथ निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए योग्य नहीं था। उत्तरवादी 3 और 4 द्वारा शपथ–पत्रों के माध्यम से प्रस्तुत स्पष्टीकरण के आलोक में इस आपत्ति पर गहन विचार किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

15. इसमें कोई विवाद नहीं है कि उत्तरवादी 3 और 4, साथ ही प्रमुख बोलीदाता आईटीआई लिमिटेड और याचिकाकर्ता का संघ, निविदा कार्यवाही में केवल दो योग्य भागीदार थे। इसमें भी कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता आईटीआई द्वारा दिया गया प्रस्ताव उत्तरवादी 3 और 4 द्वारा प्रस्तावित दर से लगभग 2.5 गुना अधिक था।

16. सर्वोच्च न्यायालय ने **रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मामले में, जैसा कि संयुक्त न्यायालय 2006 (10) 424** के मामले में प्रतिपादित निविदाओं के सामान्य मामले और वाणिज्यिक संविदाओं के मामले में न्यायिक पुनर्विर्लोकन के मापदंडों के अंतर पर विचार किया है।

संबंधित अनुच्छेद निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

"91 उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निविदाओं के सामान्य मामलों में संविदाओं के मामलों में न्यायिक पुनर्विर्लोकन के मानदंड अलग–अलग होते हैं। वाणिज्यिक

संविदाओं के मामले में सामान्य संविदात्मक मामलों को इससे बाहर रखा जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में अत्यधिक जनहित निहित होता है। जीईटीई ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई सी के भ्रामक दृष्टिकोण पर ही प्रकाश डाला है। यह दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जो तर्कों से समर्थित है और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।"

"92 अंततः, प्रश्न यह होगा कि क्या चयन प्रक्रिया में सरकार ने पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई थी।"

वर्तमान निविदा प्रक्रिया की विषय–वस्तु भी वाणिज्यिक संविदाओं से संबंधित है और सशक्त समिति ने पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाकर निर्णय लिया है।

16. उत्तरवादी 3 और 4 के शपथ–पत्रों को स्वीकार करने में सशक्त समिति के निर्णय को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि वर्तमान याचिकाकर्ता के अलावा, उत्तरवादी 3 और 4 ही योग्य बोलीदाता थे, यदि उनके शपथ–पत्रों को स्वीकार किए जाते।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उपरोक्त आकस्मिकता को ध्यान में रखते हुए रिलायंस एयरपोर्ट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पूर्वोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है:

"95. यदि आरपीएफ मूल्यांकन के अंतिम चरण पर विचार करता, तो प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए केवल एक ही बोली होती। उस स्थिति में, विभिन्न बोलियों के बीच अंतर जानने या बोलियों की तुलना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इससे ईजीओएम के पास आरएफपी में बदलाव करने या एक हवाई अड्डे को जीएमआर को देने और दूसरे के लिए प्रक्रिया को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, अर्थात पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाता। यह प्रक्रिया व्यापक जनहित में नहीं होती। इसलिए, ईजीओएम ने अपनी राय व्यक्त की।

"96. अंतिम विश्लेषण में, ईजीओएम ने जीईटीई द्वारा सत्यापन के अधीन ईसी की रिपोर्ट को स्वीकार किया है।"

उपरोक्त निर्णय के अनुच्छेद 97 और 100 में, संविदा प्रदान करने से संबंधित मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा पर विचार करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया है:

"97. इस प्रकृति के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन की सीमा, जहां संरचना का मिलान संविदा के निर्णय से संबंधित मामले से नहीं किया जा सकता है, रौनक इंटरनेशनल लिमिटेड बनाम एल.वी.आर. कंस्ट्रक्शन लिमिटेड और अन्य में इस न्यायालय का विचार सुसंगत हैं। जिसमें निम्नानुसार विचार व्यक्त किया गया था:

"13. इसलिए, रिट याचिका पर विचार करने और ऐसी याचिकाओं में कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से पहले, न्यायालय को परस्पर विरोधी जनहितों पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए। केवल तभी जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि याचिका पर विचार करने में अत्यधिक जनहित है, न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

"100. यह तभी लागू होगा जब लोक विधि का तत्व स्पष्ट हो, जो केवल "रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अवैद्यता नीति के कार्यान्वयन आदि" के मामले में ही उत्पन्न होगा। वाणिज्यिक संविदा के मामले में, भटकाव के बारे में उपरोक्त दृष्टिकोण का अवलोकन किया गया था। अनुच्छेद 50 और 51 में इसे इस प्रकार अवधारित किया गया था: "इस संदर्भ में पैनल के निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए उसके पास सामग्री या विशेषज्ञता नहीं है। इसके अलावा, यह प्रक्रिया उत्तरवादी के लिए वाणिज्यिक निर्णय के क्षेत्र में और भी स्पष्ट रूप से है, और मेरे समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय लोक विधि को चुनौती देने का विषय नहीं हो सकता।"

17. वर्तमान मामले में भी याचिका पर विचार करने में कोई जनहित सम्मिलित नहीं है और यह रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, किसी अवैद्य नीति के कार्यान्वयन आदि का मामला नहीं है।

18. इस प्रकार, उत्तरवादी क्रमांक 4 को ई–क्रय आवेदन का स्वामी मानते हुए उत्तरवादी 3 और 4 के संघ को योग्य मानने का उत्तरवादी 1 और 2 का निर्णय अनुचित या मनमाना नहीं माना जा सकता, न ही यह पक्षपातपूर्ण या दुर्भावना से प्रेरित है। संपूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया राज्य सरकार के 14 वरिष्ठ

अधिकारियों की एक सशक्त समिति द्वारा अत्यंत पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से, निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जिसमें याचिकाकर्ता भी सम्मिलित था, की उपस्थिति में की गई थी।

19. इस प्रकार उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि याचिका में कोई सार नहीं है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इसे वाद व्यय सहित खारिज किया जाता है।

सही/–	सही/–
विजय कुमार श्रीवास्तव	धीरेंद्र मिश्रा
न्यायाधीश	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .... Vijay Kumar Sahu, Advocate